भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड–3 उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 85 (आर.ई.–2013)/2009–2014
नई दिल्ली, दिनांक 26 जून, 2014

विषय: आलू की निर्यात नीति।

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैरा 1.3 के साथ पठित यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं.22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 (निर्यात नीति) के अध्याय 7 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

2. तत्काल प्रभाव से, निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 (निर्यात नीति) के अध्याय 7 में एक नई प्रविष्टि क्रम सं. 50क निम्नानुसार जोड़ी जाती है:

क्रम सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
50क	07019000	किग्रा.	आलू, ताजे अथवा प्रशीतित	मुक्त	यूएस डॉलर 450 प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य के अधीन निर्यात अनुमत होगा।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव:

आलू का निर्यात यूएस डॉलर 450 प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य के अधीन अनुमत है।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेल: **dgft@nic.in**

(फा0सं0 01/91/180/82/एएम15/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)